

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राधिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ- दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाए:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दान पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2083-ACME INSTITUTE OF PHARMACY NH-24 VILL-MEGI NAGLA, POST-RAJAU, TEHSIL-FARIDPUR, BAREILY-243503			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को उपाय प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० में आवेदन सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश शुल्क वृद्धा करारों को विधि विधायक/अभिधायक/अध्यापक/अधीनस्थों को निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उपाय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाय तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय द्वारा कराये गये विचारों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्यक होगी।
- ✓ विद्यार्थीय इन कार्यों पर पाठ्यक्रम की संरचना यदि की गयी है, नई दिनांक के अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक नहीं है नई इस संस्था में प्रत्येक उत्तरदायित्व संस्था का होता है और विधिक रूप से किसी भी कार्यों को विधि संस्था को उत्तरदायित्व होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशकालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध नहीं होगा कि वह (या इसका भाग के रूप में) इस व्यवसाय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता संबंधी अर्थों में विवाद किया जाता है जो संस्था पर प्रतिद्वंद्विता संबंधों को बनाने होगी।
- ✓ विद्यार्थीय इन कार्यों पर पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालय प्रदाय होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को आवश्यक जानकारी देना आवश्यक है। नई प्रवेश की (नई/अतिरिक्त) के प्रत्येक में प्रवेश संस्था द्वारा पर की गयी होगी। अनुमोदित नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत शर्तों/आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की शासनादेश/नियमों/शर्तों/संस्था की वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। शासन, उपाय शासन, उपाय, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित करनी होगी।
- ✓ संस्था को विद्यार्थीय शिक्षा हेतु उपरोक्त शासनादेश/नियमों/शर्तों के साथ शिवाय उपायों के सम्बन्ध में शासन आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को प्रमाणित शिक्षा टैलर नई संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सत्र-सत्र ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के सम्बन्धित/उपलब्ध नहीं करेगा। नई संस्था को संस्था द्वारा शासनादेश/नियमों/शर्तों/संस्था की वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी।
- ✓ संस्था को प्रमाणित शिक्षा टैलर नई संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सत्र-सत्र ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के सम्बन्धित/उपलब्ध नहीं करेगा। नई संस्था को संस्था द्वारा शासनादेश/नियमों/शर्तों/संस्था की वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने पर शासन द्वारा आवश्यक शर्तों का अनुपालन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थीय/अधीनस्थ/अधीनस्थ/अधीनस्थ/अधीनस्थ की जायेगी।

(सुनील कुमार शर्मा)

सचिव

पृष्ठ संख्या- प्राधिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3538-4869

दिनांक- 09/08/2021

प्राधिप:-

प्रधानाधीनस्थ ACME INSTITUTE OF PHARMACY NH-24 VILL-MEGI NAGLA, POST-RAJAU, TEHSIL-FARIDPUR, BAREILY-243503

